



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261099
CG-DL-E-17022025-261099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 819]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

संख्या 11/2025-सीमा शुल्क (मै.टे.)

का.आ. 823(अ).—केंद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 143कक के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनों हेतु, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को सीमा शुल्क (प्राधिकृत आयातक परिसर में भंडारण और निकासी के लिए आगमन पर संचालन) विनियम, 2025 कहा जाए।
(2) ये अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

- (ख) “प्राधिकृत आयातक” का तात्पर्य विनियम 4 के अंतर्गत प्राधिकृत आयातक से है;
- (ग) “प्राधिकृत आयातक परिसर” का तात्पर्य विनियम 4 के अंतर्गत निकासी या निष्कासन से पूर्व आयातित माल के भंडारण के लिए प्राधिकृत निर्दिष्ट स्थान से है;
- (घ) “प्राधिकृत आयातक परिसर में निकासी” में अधिकृत प्राधिकृत आयातक के आयातित माल का बंदरगाह से अधि प्राधिकृत आयातक परिसर तक संचालन, भंडारण, जांच, निकासी या निष्कासन शामिल है;
- (ङ) “प्रपत्र” का अर्थ इन विनियमों से संलग्न प्रपत्र है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में उन्हें दिया गया है।

3. अनुप्रयोग.- ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -

(क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले आयातक, अर्थात्:-

- (i) आयातक को टियर II या टियर III स्थिति के अंतर्गत अधिकृत आर्थिक प्रचालक के रूप में मान्यता प्राप्त है;
- (ii) अधिनियम की धारा 58 या धारा 58क के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त गोदाम के भीतर सीमांकित निर्दिष्ट स्थान;
- (iii) लाइसेंस प्राप्त अनुबंध मालगोदाम जहां निर्दिष्ट स्थान का सीमांकन किया गया है, को अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है; और
- (iv) परिणामी माल शीर्षक 8517-8548 के अंतर्गत वर्गीकृत माल से संबंधित है;

(ख) केवल ऐसे आयातित माल, जहां अधिनियम की धारा 47 या धारा 60 के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया गया है और आयातक प्राधिकृत आयातक परिसर में निकासी का लाभ उठाने की मंशा रखता है।

4. पंजीकरण.- (1) विनियम 3 के अधीन, आयातक जो प्राधिकृत आयातक परिसर में निकासी की सुविधा का लाभ उठाने की मंशा रखता है, उसे अधिनियम की धारा 58 अथवा 58क के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त के समक्ष इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसमें प्राधिकृत आयातक परिसर में निकासी की सुविधा का लाभ उठाने की मांग की गई हो।

(2) आयुक्त प्राधिकृत आयातक परिसर का सात दिनों के भीतर सत्यापन करवाएगा।

(3) उप-विनियमन (2) के अंतर्गत सत्यापन के आधार पर, आयुक्त सात दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेगा और आवेदक को सूचित करेगा;

बशर्ते कि जहां आयातक द्वारा प्रदान की गई सत्यापन या जानकारी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, वहां सीमा शुल्क आयुक्त आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आयातक को पन्द्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करे।

नोट: सीमा शुल्क आयुक्त के किसी संदर्भ में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त का संदर्भ भी शामिल होगा।

5. सुविधा का लाभ उठाने के इरादे की घोषणा.- प्राधिकृत आयातक अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम-पत्र में प्राधिकृत आयातक परिसर के विवरण के साथ अपने इरादे की घोषणा करेगा।

6. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्वचालित अनुमति प्रदान करना.- (1) माल के आगमन पर और आगम-पत्र में शामिल माल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के पूरा होने पर, आगमन मैनिफेस्ट के साथ समायोजन सहित, प्राधिकृत आयातक परिसर में भंडारण के लिए स्वचालित अनुमति सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा दी जाएगी;

बशर्ते कि उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात्:-

(क) माल को स्कैनिंग के लिए चुना गया है और स्कैनिंग के बाद संदिग्ध पाया गया; या

(ख) किसी सरकारी एजेंसी से अनापत्ति लंबित है; या

(ग) विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर रिलीज को रोक दिया गया है।

(2) इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति के संबंध में निर्णय आयातक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

7. संचलन, भंडारण और निकासी या निष्कासन.- (1) विनियम 6 के अंतर्गत अनुमति मिलने पर, आयातक प्राधिकृत आयातक परिसर पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथानिर्दिष्ट सुरक्षित मुहर लगाने के बाद बांड के अंतर्गत अपने प्राधिकृत आयातक परिसर में माल को ले जा सकता है;

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त माल की प्रकृति या परिवहन के तरीके को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित मुहर लगाए बिना ऐसे माल की आवाजाही की अनुमति दे।

(2) आगमन पर, प्राधिकृत आयातक परिसर के अनुबंध माल गोदाम पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला बांड अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, जांच आदेश के अनुसार माल की जांच कर सकता है और आयात बंदरगाह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट प्रदान कर सकता है।

(3) आयातक प्राधिकृत आयातक परिसर में निकासी या इसे हटाने के दौरान आवश्यक होने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करे या प्रश्नों का उत्तर दे।

(4) जांच सहित औपचारिकताओं के पूरा होने पर, माल को अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी जा सकती है या आयातक बंदरगाह पर उचित अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत गोदाम में रखे जाने के लिए हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

8. प्राधिकृत आयातक का दायित्व.- प्राधिकृत आयातक –

(क) संचलन के दौरान माल की अभिरक्षा के लिए निरंतरता बांड प्रदान करेगा;

(ख) माल का संचालन अपनी निगरानी में करेगा तथा प्राधिकृत आयातक परिसर में माल के आगमन के बारे में बांड अधिकारी को सूचित करेगा;

(ग) माल के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करेगा तथा प्राधिकृत आयातक के खर्च पर माल को संभालने या जांच की सुविधा प्रदान करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि धारा विनियमन 6 के अंतर्गत अनुमति के पन्द्रह दिनों के भीतर माल की निकासी हो जाए;

बशर्ते कि पन्द्रह दिनों की उक्त अवधि को अनुबंध मालगोदाम पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो कि समय अवधि के अनुरूप न होने के कारण आयातक के नियंत्रण से बाहर थे;

(ङ) प्राधिकृत आयातक परिसर में या उससे माल की प्राप्ति, हैंडलिंग, भंडारण और इसे हटाने के अभिलेखों, जैसा भी मामला हो, का रख-रखाव करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर बांड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा; और

(च) अधिनियम के सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों का पालन करेगा।

9. सुविधा का निलंबन.- सीमा शुल्क आयुक्त, विनियम 4 के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि कोई अन्य शर्तें पूरी नहीं होती हैं या कानून की उचित प्रक्रिया के पालन के बाद वैध नहीं रहती हैं।

10. जुर्माना.- यदि कोई प्राधिकृत आयातक या कोई व्यक्ति इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या ऐसे उल्लंघन को बढ़ावा देता है या इन विनियमों के किसी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा तक दंड के लिए भागी होगा।

11. छूट देने की शक्ति.- बोर्ड माल की प्रकृति, उसके परिवहन या भंडारण के तरीके को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से माल के एक वर्ग को उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट दे सकता है।

[फा. सं. 450/10/2016-सीमा शुल्क IV(पार्ट)]

संजीत कुमार, अवर सचिव

प्रपत्र

(विनियमन 4(1) देखें)

प्राधिकृत आयातक के लिए आवेदन

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त,

.....

मैं, (आयातक का नाम) एतद्वारा सीमाशुल्क (प्राधिकृत आयातक परिसर में भंडारण, निकासी के लिए आगमन पर संचालन), 2025 के अंतर्गत सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूँ और उक्त विनियमों और अन्य संबंधित परिपत्रों, सार्वजनिक सूचना में दिए गए प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ:

प्राधिकृत आयातक का विवरण		
1.	आयातक का नाम	:
2.	आयातक का आई.ई.सी.	:
3.	पंजीकृत पता	:
अधिकृत आर्थिक प्रचालक का विवरण		
4.	अधिकृत आर्थिक प्रचालक संख्या	:
5.	अधिकृत आर्थिक प्रचालक दर्जा	:
6.	अधिकृत आर्थिक प्रचालक दर्जे की वैधता	:
निर्दिष्ट स्थान का विवरण:		
7.	गोदाम कोड	:
8.	गोदाम का पता	:
9.	सुविधा, उपलब्ध उपकरण	:
परिणामी माल जिसके लिए यह सुविधा प्राप्त की गई है		
10.	निर्मित किये जाने वाले माल की सूची	:
		1. माल का विवरण, सीटीएच (4 अंक) और क्षेत्र: 2. माल का विवरण, सीटीएच (4 अंक) और क्षेत्र:
नोडल व्यक्ति (वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी):		
11।	नोडल व्यक्ति का नाम	:
12.	पदनाम	:

13.	फोन नंबर	:	
14.	मोबाइल नंबर	:	
15.	फैक्स नंबर	:	
16.	ई-मेल पता	:	

हस्ताक्षर :.....

दिनांक:

पूरा नाम:

स्थान:

पद नाम:

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

No. 11/ 2025-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, for the purposes of facilitation of trade, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Customs (On - Arrival Movement for Storage and Clearance at Authorised Importer Premises) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date to be notified.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “Authorised Importer” means the importer authorised under regulation 4;

(c) “Authorised Importer Premises” means the designated place authorised for storage of imported goods before clearance or removal under regulation 4;

(d) “Clearance at Authorised Importer Premises” includes movement of imported goods of Authorised Importer from port to the Authorised Importer Premises, storage, examination, clearance or removal thereof.

(e) “Form” means the Form annexed to these regulations.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations shall have the same meanings as assigned to them in the Act or notifications issued thereunder.

3. Application.- These regulations shall apply to –

(a) importers satisfying the following conditions, namely:-

(i) importer is recognised as Authorised Economic Operator under Tier II or Tier III status;

(ii) designated place demarcated within already licenced warehouse under section 58 or under section 58A of the Act;

(iii) licenced bonded warehouse where designated place is demarcated has permission under section 65 of the Act; and

(iv) the resultant goods pertain to goods classified under headings 8517-8548;

(b) such imported goods only, where no order is made under section 47 or section 60 of the Act and the importer is intending to avail clearance at Authorised Importer Premises.

4. Registration.- (1) Subject to regulation 3, the importer who intends to avail the facility of clearance at Authorised Importer Premises, shall make an application before the Commissioner of Customs having jurisdiction to issue licence under sections 58 or 58A of the Act, seeking to avail the facility of clearance at Authorised Importer Premises in the Form annexed to these regulations.

(2) The Commissioner shall get the Authorised Importer Premises verified within seven days.

(3) On the basis of verification under sub-regulation (2), the Commissioner shall decide the application within seven days and communicate to the applicant;

Provided that where the verification or information provided by the importer is insufficient to decide the application, the Commissioner of Customs may provide further period of fifteen days to importer for making it sufficient to decide the application.

Note: Any reference to the Commissioner of Customs shall also include a reference to the Principal Commissioner of Customs.

5. Declaration of intent to avail the facility.- The Authorised importer shall declare his intent in the Bill of Entry under section 46 of the Act along with the details of Authorised Importer Premises.

6. Grant of automated permission to avail this facility.- (1) On arrival of the goods and completion of the electronic process relating to goods covered in the Bill of Entry including reconciliation with the arrival manifest, an-automated permission for storage at the Authorised Importer Premises shall be granted by the Customs Automated System;

Provided that the above said permission shall not be available in the following situations, namely:-

(a) goods are selected for scanning and found suspicious after scanning; or

(b) no-objection is pending from any Government agency; or

(c) release is kept on hold based on specific intelligence.

(2) The decision regarding permission to avail this facility shall be made available to the importer electronically.

7. Movement, Storage and Clearance or Removal.- (1) On grant of permission under regulation 6, the importer may move the goods to his Authorised Importer Premises under bond after affixing secured seal as specified by the Commissioner of Customs having jurisdiction over Authorised Importer Premises;

Provided that the Commissioner of Customs may having regard to the nature of goods or manner of transport, permit movement of such goods without affixing the secured seal.

(2) On arrival, the bond officer having jurisdiction over the Bonded warehouse of the Authorised Importer Premises may examine the goods, if required in accordance with examination order and provide report to the Port of Import electronically.

(3) Importer may submit any documents or respond to the query, if required during clearance or removal at the Authorised Importer premises.

(4) On completion of the formalities including examination, the goods may be cleared for home consumption under section 47 of the Act or permitted to be removed for warehousing under section 60 of the Act by the proper officer at the Port of Import.

8. Obligation of the Authorised Importer.- The Authorised Importer shall –

(a) provide continuity bond for custody of the goods during the movement;

(b) move the goods under his custody and inform the bond officer regarding the arrival of the goods at the Authorised Importer Premise;

(c) provide for safe storage of the goods and to facilitate handling and examination at the expense of the authorised importer;

(d) ensure that goods are cleared or removed within fifteen days of permission granted under regulation 6;

Provided that the said period of fifteen days may be further extended by the Commissioner of Customs having jurisdiction over the bonded warehouse, if sufficient reason is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control;

(e) maintain records of receipt, handling, storing and removal of goods into or from the Authorised Importer Premises, as the case may be, and produce the same to the bond officer, as and when required; and

(f) abide by all the provisions of the Act and rules, regulations, notifications and orders issued thereunder.

9. Suspension of the facility.- The Commissioner of Customs, may suspend or revoke the authorisation granted under regulation 4, if any other conditions are not met or no longer valid after observance of due process of law.

10. Penalty.- If an Authorised Importer or any person contravenes any of the provisions of these regulations or abets such contravention or fails to comply with any of the provisions of these regulations, he shall be liable to penalty to an extent specified under clause(ii) of sub-section (2) of section 158 without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.

11. Power to relax.- The Board having regard to the nature of the goods, their manner of transport or storage, may by order exempt a class of goods from any of the provisions of these regulations subject to such conditions specified therein.

[F. No. 450/10/2016-Cus IV(Pt.)]

SANJEET KUMAR, Under Secy.

FORM
[See regulation 4(1)]
Application for Authorised Importer

To,
The Principal Commissioner/ Commissioner,

....

I, (name of the importer) hereby submit an application to avail the facility under Customs (On-Arrival Movement for Storage, Clearance at Authorised Importer Premises), 2025 and undertake to comply with the provisions laid down in the said regulations and other related circulars, public notice as follows:

Details of Authorised Importer		
1.	Name of the Importer	:
2.	IEC of the Importer	:
3.	Registered Address	:
Authorised Economic Operator Details		
4.	Authorised Economic Operator Number	:
5.	Authorised Economic Operator Status	:
6.	Validity of Authorised Economic Operator Status	:
Details of designated place:		
7.	Warehouse Code	:
8.	Warehouse Address	:
9.	Facility, equipment available	:
Resultant Goods for which this facility is availed		
10.	List of Goods to be manufactured	: 1. Goods description, CTH (4 Digit) and sector : 2. Goods description, CTH (4 Digit) and sector :
Nodal Person (senior management official):		
11.	Name of the nodal person	:
12.	Designation	:
13.	Phone No.	:
14.	Mobile No.	:
15.	Fax No.	:
16.	E-mail address	:

Signature:.....

Date:
Place:

Full Name:
Designation: